प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2026

विषयः- जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजीव उर्फ राजू पुत्र श्री रामदयाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजीव उर्फ राजू पुत्र श्री रामदयाल (दिनांक 12.06.2024 तक बन्दी की आयु 44 वर्ष) चिन्तापुरवा बसंठी, थाना-चौबेपुर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। अनीता पत्नी बाबूलाल का अपहरण नवम्बर, 2008 में गांव के ही रावेन्द्र पुत्र हरिराम ने कर लिया था, जिस पर कार्यवाही के डर से अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 18.07.09 को अनीता की मॉ शान्ती देवी से मारपीट की गयी। इसी दौरान गॉव के ही 01 व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-48/2010 में भा0द0वि0 की धारा-147, 452, 148, 323/149, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामाबाई नगर (कानपुर देहात) के आदेश दिनांक 15.04.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.06.2024 तक अपरिहार 02 वर्ष, 06 माह 25 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 09 माह 25 दिन की मात्र की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनाक 12.06.2024 तक बन्दी की 44 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 02 वर्ष, 06 माह 25 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 09 माह, 25 दिन की भोगी गयी सजा, रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजीव उर्फ राजू (बन्दी संख्या-43/2022) पुत्र श्री रामदयाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-36/2026/778(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।